बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–स्था०1/आ०2–22/2015 299 पटना, दिनांकः 02/12/19

कार्यालय आदेश

श्री विजय कुमार गुप्ता, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, संग्रामपुर प्रखंड, मुंगेर संप्रति कनीय सांख्यिकी सहायक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, नालंदा के विरूद्ध ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक– 236991 दिनांक–07.07.2015 के साथ संलग्न जिला पदाधिकारी मुंगेर के पत्रांक–344/पं० दिनांक–12.05.2015 द्वारा गठित आरोप पत्र पर निदेशालय के का०आ०सं०–249 सहपठित ज्ञापांक–1647 दिनांक–07.10.2015 द्वारा आरोप प्रपत्र 'क' गठित करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच),मुंगेर को संचालन पदाधिकारी तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मुंगेर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

2. श्री विजय कुमार गुप्ता के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में निम्न आरोप गठित किये गये :–

(i). श्री विजय कुमार गुप्ता द्वारा प्रखंड कार्यालय, संग्रामपुर के पत्रांक– 996 दिनांक–23.09.2013 द्वारा श्री बालेश्वर प्रसाद यादव, पंचायत सचिव, बलिया एवं कटियारी का आवेदन पत्र संलग्न करते हुए सूचित किया गया है कि श्री यादव द्वारा दिनांक–19.09.2013 को सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभुकों को पेंशन वितरण करने हेतु भारतीय स्टेट बैंक, संग्रामपुर से 3,50,000/– (तीन लाख पचास हजार) रू० की निकासी की गई, जिसे उनके निजी ड्राईवर श्री राकेश सिंह द्वारा गायब कर दिया गया है। इस संबंध में श्री बालेश्वर प्रसाद यादव द्वारा ड्राईबर श्री राकेश सिंह के विरूद्ध संग्रामपुर थाना में वाद संख्या–124/13 दिनांक–19.09.2013 दर्ज किया गया। जबकि सरकारी राशि के गायब होने की स्थिति में श्री गुप्ता द्वारा कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई जो इनकी लापरवाही और संलिप्तता को दर्शाता है।

(ii). श्री बालेश्वर प्रसाद यादव से प्राप्त स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया है कि बैंक की राशि निकालने या वितरण करने हेतु श्री विजय कुमार गुप्ता द्वारा किसी प्रकार का सुरक्षा गार्ड या वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया जो इनकी लापरवाही का द्योतक है।

3. अपर समाहर्त्ता, मुंगेर–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–11/गो० दिनांक–29.02.2016 द्वारा श्री विजय कुमार गुप्ता पर संचालित विभागीय कार्यवाही में समर्पित संचालन प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी ने निष्कर्ष दिया है कि :–

(i) सरकारी राशि गायब होने की सूचना पंचायत सचिव ने तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, संग्रामपुर को उसी दिन अर्थात् दिनांक–19.09.2013 को ही दिया था, फिर भी तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी ने घटना के तीन–चार दिन बाद में जिला पदाधिकारी से अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु मार्गदर्शन की मॉग की गयी, जबकि वे तत्क्षण जिला मुख्यालय आकर जिला पदाधिकारी से साक्षात्कार कर घटना के संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त करते, परन्तु उन्होंने इसमें विलंब किया और मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होने के कारण उन्होंने प्राथमिकी दर्ज नहीं करवाई। यह बिलकुल सही है कि बिना वरीय पदाधिकारी के मार्गदर्शन के प्राथमिकी दर्ज करना उचित नहीं है, परन्तु यह भी सत्य है कि घटना के 3–4 दिन बाद मार्गदर्शन की मॉग करना इनसे हुई चूक को दर्शाता है, परन्तु इस चूक से इनकी संलिप्ता प्रमाणित नहीं होता है।

(ii) पंचायत सचिव राशि की निकासी की तिथि के संबंध में सूचना तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी को नहीं दी थी और न ही गाड़ी/सुरक्षा की मॉग की गई थी। वास्तविकता है कि व्यवहारिक रूप में रूपये की निकासी हेतु न तो गाड़ी/सुरक्षा की मॉग की जाती है और न तो गाड़ी/सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है। अतः यह आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

4. संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, मुंगेर द्वारा आरोप प्रमाणित नहीं होता है के समर्पित प्रतिवेदन पर जिला पदाधिकारी, मुंगेर से मंतव्य की मॉग की गयी। जिला पदाधिकारी, मुंगेर के पत्रांक–1229/पं० दिनांक–04.11.2019 द्वारा इस मामले में अपना मंतव्य दिया गया है जो निम्नवत् है :–

"श्री विजय कुमार गुप्ता, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, संग्रामपुर, मुंगेर संप्रति कनीय सांख्यिकी सहायक,जिला सांख्यिकी कार्यालय, नालंदा के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी अपर समाहर्त्ता, मुंगेर के पत्रांक–11/गो० दिनांक–29.02.2016 के द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन के द्वारा आरोप प्रमाणित नहीं होने के प्रतिवेदन से अधोहस्ताक्षरी सहमत हैं।

5. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन एवं उस पर जिला पदाधिकारी से प्राप्त मंतव्य से सहमत होते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री विजय कुमार गुप्ता, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, संग्रामपुर, मुंगेर संप्रति कनीय सांख्यिकी सहायक,जिला सांख्यिकी कार्यालय, नालंदा को भविष्य में अपने कार्यो के प्रति सचेष्ट रहने की चेतावनी देते हुए आरोप से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

(8)

6. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री विजय कुमार गुप्ता, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, संग्रामपुर, मुंगेर संप्रति कनीय सांख्यिकी सहायक,जिला सांख्यिकी कार्यालय, नालंदा को भविष्य में अपने कार्यो के प्रति सचेष्ट रहने की चेतावनी देते हुए आरोप से मुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही को निष्पादित किया जाता है।

ह०/–

(राजेश्वर प्रसाद सिंह)

निदेशक

ज्ञापांकः– स्था०1/आ०2–22/2015 2234 पटना, दिनांकः 02.12.19

प्रतिलिपिः–सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

2. उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक–236991 दिनांक–07.07.2015 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. जिला पदाधिकारी, मुंगेर को उनके पत्रांक–344/पं० दिनांक–12.05.2015 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. जिला कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर/नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मुंगेर/नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
6. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
7. श्री विजय कुमार गुप्ता, कनीय सांख्यिकी सहायक,जिला सांख्यिकी कार्यालय, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक 02/12